

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत एतदर्थ गठित समिति की संस्तुति एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25 मई, 2018 के अनुक्रम में भूलेख अधिष्ठान जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत कार्यरत रजिस्ट्रार कानूनगों एवं राजस्व उप निरीक्षकों को एतद्द्वारा निम्नानुसार स्थानान्तरित किया जाता है:-

➤ धारा 6(क) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण

रजिस्ट्रार कानूनगों

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम | पदनाम | गृह तहसील | वर्तमान कार्य तहसील | स्थानान्तरित तहसील | अभ्युक्ति |
|----------|-----------------|---------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| 01 | बालम सिंह बिष्ट | रजिस्ट्रार कानूनगों | भनोली | सोमेश्वर | जैंती | वास्तविक रिक्त के सापेक्ष |

राजस्व उप निरीक्षक

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम | पदनाम | गृह तहसील | वर्तमान कार्य तहसील | | स्थानान्तरित तहसील | | अभ्युक्ति |
|----------|-----------------------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|--|
| | | | | तहसील | क्षेत्र | तहसील | क्षेत्र | |
| 01 | मोहन चन्द जोशी | राजस्व उप निरीक्षक | भिकियासैण | भिकियासैण | रापड़ | स्याल्दे | चक्करगांव | तहसील स्याल्दे के उपलब्ध कराये गये विकल्प पर क्षेत्र रिक्त न होने से स्थानान्तरण के आधार पर रिक्त क्षेत्र के सापेक्ष |
| 02 | नन्दन सिंह करायत | राजस्व उप निरीक्षक | रानीखेत | द्वाराहाट | द्वाराहाट | जालली | चौड़ा | विकल्प के आधार पर प्रथम विकल्प पर पद रिक्त होने से वास्तविक रिक्त के सापेक्ष |
| 03 | इसरार अहमद | राजस्व उप निरीक्षक | रानीखेत | चौखुटिया | धन्स्यारी | द्वाराहाट | जालली | कार्मिक द्वारा प्रस्तुत प्रथम विकल्प गृह तहसील होने से तथा द्वितीय विकल्प में क्षेत्र रिक्त न होने से तृतीय विकल्प में स्थानान्तरण के आधार पर रिक्त क्षेत्र के सापेक्ष |
| 04 | भूपाल सिंह रौतेला | राजस्व उप निरीक्षक | द्वाराहाट | सोमेश्वर | बैगनियां | जैंती | मोरनौला | कार्मिक द्वारा प्रस्तुत प्रथम विकल्प में क्षेत्र रिक्त न होने के कारण द्वितीय विकल्प पर स्थानान्तरण के आधार पर रिक्त क्षेत्र के सापेक्ष |
| 05 | भूपाल गिरी गोस्वामी | राजस्व उप निरीक्षक | रानीखेत | अल्मोड़ा | कटारमल | स्याल्दे | देघाट | विकल्प अप्राप्त होने के कारण तहसील भनोली के वास्तविक रिक्त के सापेक्ष |
| 06 | जगदीश सिंह नेगी | राजस्व उप निरीक्षक | द्वाराहाट | रानीखेत | महरखोला | भिकियासैण | कूणीघार | विकल्प अप्राप्त होने के कारण स्थानान्तरण के आधार पर रिक्त क्षेत्र के सापेक्ष |
| 07 | शंकर गिरी गोस्वामी | राजस्व उप निरीक्षक | भिकियासैण | स्याल्दे | आमखेत | रानीखेत | नैणी | विकल्प अप्राप्त होने के कारण स्थानान्तरण के आधार पर रिक्त क्षेत्र के सापेक्ष |
| 08 | महेन्द्र सिंह चौड़िया | राजस्व उप निरीक्षक | कपकोट | अल्मोड़ा | खत्याड़ी | भनोली | ध्याड़ी | विकल्प अप्राप्त होने के कारण वास्तविक रिक्त के सापेक्ष |
| 09 | नन्दन सिंह नेगी | राजस्व उप निरीक्षक | चौखुटिया | चौखुटिया | चौखुटिया | सल्ट | हरड़ा | विकल्प अप्राप्त होने के कारण स्थानान्तरण के आधार पर रिक्त क्षेत्र के सापेक्ष |

➤ धारा 6(ख) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण

राजस्व उप निरीक्षक

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम | पदनाम | गृह तहसील | वर्तमान कार्य तहसील | | स्थानान्तरित तहसील | | अभ्युक्ति |
|----------|--------------------------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|---------|---|
| | | | | तहसील | क्षेत्र | तहसील | क्षेत्र | |
| 01 | सुरेन्द्र सिंह नेगी | राजस्व उप निरीक्षक | स्याल्दे | स्याल्दे | चक्करगांव | भिकियासैण | रापड़ | कार्मिक द्वारा प्रस्तुत द्वितीय विकल्प पर स्थानान्तरण के आधार पर रिक्त क्षेत्र के सापेक्ष |
| 02 | प्रकाश चन्द्र | राजस्व उप निरीक्षक | भिकियासैण | रानीखेत | नैणी | स्याल्दे | आमखेत | विकल्प अप्राप्त होने के कारण स्थानान्तरण के आधार पर रिक्त क्षेत्र के सापेक्ष |
| 03 | सुरेन्द्र सिंह मर्तोलिया | राजस्व उप निरीक्षक | पिथौरागढ़ | सल्ट | हरड़ा | सोमेश्वर | बैगनिया | प्रथम विकल्प की तहसील अन्तर्गत स्थानान्तरण के आधार पर रिक्त क्षेत्र के सापेक्ष |
| 04 | जगदीश सिंह सजवाण | राजस्व उप निरीक्षक | रानीखेत | स्याल्दे | बिसराखेत | भिकियासैण | बाटुला | कार्मिक द्वारा प्रस्तुत प्रथम विकल्प गृह तहसील होने के कारण द्वितीय विकल्प पर वास्तविक रिक्त के सापेक्ष |

(Handwritten Signature)

(2)

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|--|
| 05 | दीवान नाथ गोस्वामी | राजस्व उप निरीक्षक | द्वाराहाट | रानीखेत | दुगौड़ा | अल्मोड़ा | खत्याड़ी | विकल्प अप्राप्त होने के कारण स्थानान्तरण के आधार पर रिक्त क्षेत्र के सापेक्ष |
| 06 | कमल चौधरी | राजस्व उप निरीक्षक | द्वाराहाट | भिकियासैण | कूणीघार | रानीखेत | महरखोला | कार्मिक द्वारा प्रस्तुत प्रथम विकल्प दुर्गम क्षेत्र होने तथा क्रमांक द्वितीय एवं तृतीय विकल्पों में क्षेत्र रिक्त न होने के कारण उक्त तहसील के स्थानान्तरण के आधार पर रिक्त क्षेत्र के सापेक्ष |
| 07 | मोहन राम टम्टा | राजस्व उप निरीक्षक | बागेश्वर | द्वाराहाट | जालली | चौखुटिया | धनस्यारी | विकल्प अप्राप्त होने के कारण स्थानान्तरण के आधार पर रिक्त क्षेत्र के सापेक्ष |
| 08 | नारायण नाथ | राजस्व उप निरीक्षक | अल्मोड़ा | अल्मोड़ा | न्योली | रानीखेत | कारचूली | विकल्प अप्राप्त होने के कारण वास्तविक रिक्त के सापेक्ष |
| 09 | हितेन्द्र प्रसाद टम्टा | राजस्व उप निरीक्षक | भनोली | जैती | मोरनौला | अल्मोड़ा | कटारमल | कार्मिक द्वारा प्रस्तुत विकल्पों में से क्रमांक 01 से 4 तक विकल्पों में क्षेत्र रिक्त न होने के कारण स्थानान्तरण के आधार पर रिक्त क्षेत्र के सापेक्ष |

2- उपरोक्त स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22(1) के अनुसार आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करेंगे। संबंधित उप जिलाधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार नवीन तैनाती क्षेत्र/तहसील में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल अवमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

3- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

दिनांक 10 जून, 2018

ह0/
ईवा आशीष श्रीवास्तव
जिला अधिकारी अल्मोड़ा।

कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या- 2-88 / सात-05/2017-18 दिनांक 10 जून, 2018

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- आयुक्त कुमाऊ मण्डल नैनीताल।
- 3- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अल्मोड़ा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति जनपद अल्मोड़ा की एन0आई0सी0 की वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/संबंधित कोषाधिकारी, जनपद अल्मोड़ा।
- 5- संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत।
- 5- सर्वसंबंधित उप जिलाधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी जनपद अल्मोड़ा।
- 6- सर्वसंबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार जनपद अल्मोड़ा।
- 7- सर्वसंबंधित कार्मिक(द्वारा संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार)
- 8- कार्यालय प्रति।

(के0एस0 टोलिया)
अपर जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।